

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/शालादर्पण/60302/स्टूडेंट/04602/ दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :- गुलाबी एवं नीली गोली की प्रविष्टि शालादर्पण पोर्टल पर करने बाबत।

प्रसंग :- कार्यालय आदेश राजकाज रेफ 12783098 दिनांक 17.01.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विद्यालयों में उपलब्ध करवायी जाने वाली आयरन एवं फॉलिक एसिड की नीली व गुलाबी गोलियों की आपूर्ति के सम्बन्ध में शालादर्पण पर निर्मित मॉड्यूल में गत माह की रिपोर्ट हर माह की दिनांक 1 से 7 तक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करावें। हर माह की दिनांक 1 से 7 तक मॉड्यूल एक्टिव रहेगा, इसके पश्चात उस माह की प्रविष्टि किसी भी स्तर से संभव नहीं होगी। समस्त CDEO/CBEO को इस हेतु नोडल नियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रतिमाह अपने क्षेत्राधिकार में समस्त विद्यालयों से शत प्रतिशत प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करें।

अतः इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार आदेशों-निर्देशों की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा प्रतिमाह 7 तारीख तक प्रविष्टि करें।

संलग्न : यथोपरि।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण के क्रम में।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई-मेल)
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर (जरिये ई-मेल)।
5. उपनिदेशक, शालादर्पण, जयपुर को सम्बन्धित मॉड्यूल को लाईव किये जाने सम्बन्धी आगामी आवश्यक कार्यवाही बाबत (जरिये ई-मेल)।
6. प्रोजेक्ट निदेशक, बाल स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर (जरिये ई-मेल)
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु। (जरिये ई-मेल)
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा को पालनार्थ। (जरिये ई-मेल)
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा। (जरिये ई-मेल)
10. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
11. समस्त संस्था-प्रधान।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान(समसा)